(97)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4787/2018/नरसिंहपुर/भू.रा. के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—07—2018 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 315/अपील/2017—18/अ—70.

.....

1—शारदा प्रसाद गडरिया
2—डालचन्द गडरिया
3—रतन गडरिया
4—केहर कडरिया
5—मुकेश गडरिया
6—महेश गडरिया पुत्रगण तुलसीराम
निवासीगण ग्राम सडूमर तहसील
गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म0 प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—विशाल पुत्र महादेव साहू
2—डालचंद पुत्र महादेव साहू
निवासीगण ग्राम सडूमर तहसील
गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म0 प्र0

——अनावेदकगण

.....

श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 31/12/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23—07—2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार बोहानी जिला नरसिंहपुर के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उनके पिता स्व0 महादेव आत्मज सुखराम ने स्व0 बलदेव आत्मज उददे् काछी से पंजीकृत बैनामा दिनांक 12.3.1968 द्वारा मौजा सडूमर प0ह0न0 8/120 नं0 बुं0 424 राजस्व निरीक्षक मण्डल बोहानी तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर स्थित एक किता भूमि मकान खपरैल मय सरहद चौहददी मकान एवं पूर्व में रास्ता है, को कय किया था। अनावेदकगण उक्त भूमि में कय दिनांक से काबिज निवासरत है। उत्तरवादीगण के स्वामित्व में अनावश्यक कब्जा किया जा रहा है, को हटाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 30/बी–121/2016–17 दर्ज किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक के अवैध कब्जे को हटाने का आदेश पारित किया। इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गाड़रवारा जिला नरसिंहपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 81/बी–121/2016–17 पर दर्ज किया जाकर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये दिनांक 13.11.17 को अपील निरस्त की गई, इससे दुखित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 0315/अपील/2017–18 पर दर्ज किया गया। अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा का आदेश दिनांक 13.11.17 स्थिर रखते हुये द्वितीय अपील निरस्त की गई है, इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया कि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के प्रावधानों के अनुसार 2 वर्ष से अधिक समय के अतिक्रमण के संबंध में क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 250 के प्रावधान कृषि भूमि पर लागू होते है नं कि आवादी भूमि पर इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में यह भी लेख किया गया है कि आवेदकगण का

मकान विगत 47 वर्षो से स्थित है व उसका ही कब्जा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा 47 वर्षो से स्थित मकान को तोडकर कब्जा दिलाये जाने का आदेश क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस में यह भी लेख किया गया है कि अब विषय सार्वजनिक रास्ता पर बेजा कब्जा का है यह रास्ता अनावेदकगण के मकान से उत्तर दिशा की ओर बताया गया है जिसके संबंध में सर्वप्रथम पटवारी द्वारा प्रस्तुत स्थल रिपोर्ट दिनांक 25.1.17 अवलोकनीय हैं जिससे स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मकान आबादी भूमि में बने हुये है व आबादी के नक्शे में कोई रास्ता नहीं बना हुआ है मौके पर आवेदकगण का मकान का क्षेत्रफल बैनामें में दर्शित रकवे के बराबर है बाद में रिपोर्ट में लिखा है कि मौके पर आवागवन के लिये अवरूद्व नहीं है। यहां यह अवलोकनीय है कि पटवारी रिपोर्ट स्थल पंचनामा सहित देखने पर स्पस्ट हे कि जब रास्ता दर्शित नहीं है तो बेजा कब्जा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता उक्त बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 4.5.17 एवं नजरी नक्शा का अवलोकन किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 25.1.17 में स्पष्ट नक्शे में कोई रास्ता नहीं बना है दोनों पक्षकार अपनी भूमि व मकान पर काबिज हैं दोनों के मकान लगे हुये हैं, वैकल्पिक रास्ता पंचायत साडूमर द्वारा बनाया गया है उक्त वैकल्पिक रास्ता आवेदकगण की भूमि पर बना हुआ है आने जाने में कोई रूकावट नहीं है। आवेदकगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस वावत कोई विचार नहीं किया गया कि अनावेदकगण जिसे दिनांक 12.3.1967 को कय करना बताया जा रहा है जिसकी चतुरसीमा लंबाई उत्तर दक्षिण 48 हाथ पूर्व पश्चिम 27 हाथ का उल्लेख किया गया है जबकि अनावेदकगण द्वारा जिस भूमि को जिस विकेता से कय की थी उसके विकय पत्र में चतुरसीमा लंबाई उत्तर दक्षिण 37 हाथ पूर्व पश्चिम 19 हाथ का उल्लेख है यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि जब पूर्व विकेता के पास जितनी भूमि भी उतनी भूमि से अधिक अनावेदकगण को कैसे विकय की जा सकती हैं इस कारण संहिता की धारा 250 की कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं थी

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग न करते हुये विधि सिद्वातों को नजर अंदाज करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर आवेदकगण की निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

4—अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा के पिता स्व0 महादेव आत्मज सुखराम ने स्व0 बलदेव आत्मज उददे् काछी से पंजीकृत बैनामा दिनांक 12.3.1967 के द्वारा रहवासी भूमि क की थी जो भूमि मकान खपरेल मय सरहद चोहददी के एक किता कय किया था जिसमें में उनके वारिस अनावेदकगण विधिवत रूप से निवास कर काबिज है। अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी लेख किया गया है कि अनावेदकगण की रहवासी भूमि से लगे हुये उत्तर दिशा वाले रास्ते पर बेजा कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया जिसके कारण रास्ता पूर्णतः आवागमन के लिये अवरूद्व हो गया जिस कारण उत्तरवादीगण एवं अन्य ग्राम वासियों को आवागमन में अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा अनावेदकगण के पूर्व पश्चिम वाली भूमि पर भी बैजा कब्जा किया जा रहा है उत्तरवादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे में अनावश्यक रूप से दखंलदाजी की जा रही है एवं अनावश्यक रूप से लडाई झगडा करता है। अनावेदकगण के विरूद्व झूठी रिपोर्ट की जाती है। अनावेदकगण द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि एवं रास्ते पर बैजा कब्जा हटाये जाने वावत आवेदन पत्र जनसुनवाई में भी प्रस्तुत किया गया था जिसका निराकरण निर्धारित समयाविधि में किया जाना आवश्यक हें उक्त प्रकरण में विधिवत रूप से जबाव प्रस्तुत किया गया एवं राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी का प्रतिवेदन लिया गया ग्राम पंचायत सडूमर में भी प्रस्ताव पारित किया एवं विशाल , सत्यनारायण , गोपाल, शांतिबाई, डालचंद, दीपचंद, तुलसीराम द्वारा भी अपने साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किये गये तहसीलदार द्वारा स्वतः मौके पर जाकर स्थल का निरीक्षण किया गया इस तरह संपूर्ण कार्यवाही विधि के अनुसार की गई। आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा के न्यायालय में अनावेदकगणों के विरूद्व

धारा 145 जा0 फौ0 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 21.11.16 में प्रस्तुत किया गया जिसमें भी आवेदकगण/अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 16.11.17 में निरस्त कर दिया गया लेकिन अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा अपर जिला न्यायाधीश गाडरवारा के न्यायालय में धारा 397 द0 प्र0 संहिता के अंतर्गत निगरानी कमांक 77/17 प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा को प्रत्यावर्तित कर विस्तृत आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया जिसमें दिनांक 9.10. 2018 में अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा द्वारा आदेश पारित कर धारा 145 दण्ड प्रकिया संहिता की कार्यवाही अनावेदकगण का पक्ष सही पाकर निरस्त कर दी गई। अंत में अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के लेखी बहस का अध्ययन किया गया तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि नायब तहसीलदार ने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं स्वयं न्यायालय द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण व मौके पर तैयार किये गये प्रतिवेदन, पंचनामा, नजरी, नक्शा के आधार पर ही आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उभयपक्षों के मकानों के बीच आवागमन के लिये वर्षो पुराना रास्ता बना हुआ था जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्व किया गया है। उभयपक्ष अपने अपने दस्तावेजों में वर्णित भूमि पर काबिज होना पाये गये हैं। जिससे यह स्वयं सिद्व होता है कि आवेदकगण द्वारा रास्ते की भूमि पर जबरन कब्जा कर वर्षो पुराना रास्ता अवरूद्व किया गया है, जिससे विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौके की वस्तुस्थिति का विधि अनुसार सही सही मूल्यांकन कर आदेश पारित किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी गाड़रवारा एवं अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा स्थिर रखा हुआ है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर का प्रकरण क्रमांक 0315/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 23.7.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेष
ग्वालियर